महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्
विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन,

ब्लॉक—II द्वितीय तल, नया रायपुर, (छत्तीसगढ़)
☎0771-2331659, Email id-nregastatecell@gmail.com



क्रमांकः 704 /718/वि–7/MGNREGA/तक./2017 नया रायपुर, दिनांक 23/02/2017

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ इंफोटेक एण्ड बायोटेक प्रमोशन सोसायटी (Chips),
तृतीय तल, स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, नवीन सर्किट हाऊस के सामने,
सिविल लाईन्स, रायपुर, छत्तीसगढ़। पिनकोड– 492001

विषय :– विज्ञापन प्रारूप अपलोड करने बाबत्।

//00//

महात्मा गांधी नरेगा राज्य कार्यालय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा "बेयरफुट तकनीशियन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षक (Trainers) की भूमिका निर्वहन" के लिये चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। इस हेतु "विज्ञापन सूचना" प्रारूप संलग्न प्रेषित है।

कृपया छत्तीसगढ़ शासन की अधिकृत वेबसाईट www.cgstate.gov.in के "Notice Board" में संलग्न "विज्ञापन सूचना" प्रारूप को अपलोड करवाने का कष्ट करें, जिसका लिंक विज्ञापन प्रारूप– "बेयरफुट तकनीशियन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षक (Trainers) की भूमिका निर्वहन के लिये आवेदन" के नाम से प्रदर्शित हो।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(पी.सी.मिश्रा)
आयुक्त
महात्मा गांधी नरेगा
नया रायपुर, छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक. 705 /718/वि–7/MGNREGA/तक./2017 नया रायपुर, दिनांक 23/02/2017

प्रतिलिपि :–

1. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छ.ग.।
2. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ,
3. सचिव, छ.ग. शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर,
4. सचिव, छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर,
5. विशेष सचिव, छ.ग. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़,
6. संचालक, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर,
7. रजिस्ट्रार, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, छ.ग.,
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग.ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, विकास भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर,
9. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास भवन, सिविल लाईन, रायपुर, छ.ग.,

पृष्ठांकन क्र. 2 से 9 की ओर सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु/नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने हेतु।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

आयुक्त
महात्मा गांधी नरेगा
नया रायपुर, छत्तीसगढ़

विज्ञापन प्रारूप

कार्यालय आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर, छ.ग.

बेयरफुट तकनीशियन अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षक (Trainers) के रूप में भूमिका निर्वहन हेतु आवेदन आमंत्रण के संबंध में शर्तें एवं आवेदन पत्र का प्रारूप

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के बेयरफुट तकनीशियन (BFT) कार्यक्रम के अंतर्गत न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण व महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत एक्टिव जॉबकार्डधारी परिवार के इच्छुक महिला/पुरूषों को BFT विषयक 100 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाना है। इस कार्य हेतु **प्रशिक्षक (Trainer) की भूमिका निर्वहन के लिए इच्छुक शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों से सेवा निवृत्त/प्राईवेट संस्थानों के सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा/डिग्रीधारी अनुभवी अभियंताओं से आवेदन मंगवाये जाते हैं। योग्यता/अनुभव के आधार पर BFT प्रशिक्षक की भूमिका निर्वहन हेतु चयन किया जावेगा। प्रशिक्षकों की संख्या का निर्धारण नहीं किया गया है ताकि अधिक से अधिक योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध हो सके। सभी श्रेणियों (सामान्य/अ.पि.व./अ.जा./अ.ज.जाति) के सभी अर्ह अभ्यर्थी भूमिका निर्वहन हेतु आवेदन कर सकते हैं।**

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 25 मार्च 2017

(1) अर्हता :–

1. इच्छुक अभ्यर्थी (निर्माण संबंधित विभागों जैसे– ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग /निगमों/मंडलों के **सेवानिवृत्त** सिविल इंजीनियर (सहायक अभियंता/कार्यपालन अभियंता), वाटरशेड विकास कार्यों से जुड़े शासकीय विभागों के **सेवानिवृत्त** सिविल इंजीनियर) बेयरफुट तकनीशियन्स (दसवीं कक्षा उत्तीर्ण जॉबकार्डधारी ग्रामीण) को प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षक (Trainer) का 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु चयन के लिए आवेदन कर सकेंगे।
2. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अथवा इस विभाग में प्रतिनियुक्ति पर प्रथम/द्वितीय श्रेणी अधिकारी (कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता) के रूप में अन्य विभागों के **कार्यरत्** सिविल इंजीनियर्स आवेदन कर सकेंगे।
3. अन्य सिविल इंजीनियरिंग तकनीकी विभागों, शासकीय अभियंत्रण/कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय के **कार्यरत्** प्रथम/द्वितीय श्रेणी सिविल अभियंता, अधिकारी/प्राध्यापक भी अपने विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियंता के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
4. निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों/गैर शासकीय संस्थाओं/निर्माण कार्यों में व्यक्तिगत तौर पर कार्यरत् सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी/डिग्रीधारी व्यक्ति भी आवेदन कर सकेंगे।
5. सेवानिवृत्त अथवा कार्यरत अधिकारियों का सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमाधारी/डिग्रीधारी होना अनिवार्य है। (प्रमाण पत्र की स्व सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न की जावें)
6. **न्यूनतम अनुभवः** सिविल इंजीनियरिंग तकनीकी कार्यों का **न्यूनतम 5 वर्ष** का कार्य अनुभव।

...2

7. 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर में **40 से अधिक** संख्या में इच्छुक प्रशिक्षक अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर शीघ्र भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुमोदन उपरांत प्रशिक्षण कार्यक्रम (Training of Trainers - ToT) आयोजित किया जायेगा। उपयुक्त आवेदनों की कम संख्या में प्राप्त होने की स्थिति में प्रशिक्षक को 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु NIRD & PR हैदराबाद या अन्य राज्य में स्थित संस्थानों में आयोजित BFT ToT प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थल पर जाना होगा, जिसकी जानकारी उपयुक्त पाए गये आवेदनकर्ता अभ्यर्थियों को पृथक् से दी जावेगी। अतः सभी अभ्यर्थी अपना पूरा पता, मोबाईल नम्बर्स एवं ई–मेल आई.डी. अनिवार्यतः स्पष्टता के साथ आवेदन पत्र में भरें।
8. 10 दिवसीय प्रशिक्षण में भारत सरकार के मास्टर ट्रेनर्स द्वारा उपयुक्त पाए गए आवेदकों (Trainers) को ही BFTs को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु अर्ह मानते हुए उन्हें प्रत्येक दिवस के प्रशिक्षण के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
9. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।
10. जो आवेदक विषयांतर्गत पूर्व में जारी विज्ञापन के आधार पर आवेदन कर चुके हैं, उन्हे पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि उनके उक्त आवेदन को भी चयन हेतु पात्रता/अपात्रता के संबंध में विचारार्थ मान्य किया जावेगा।

(2) आयु सीमा :– बेयरफुट तकनीशियन के प्रशिक्षक बनने हेतु आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं रखी गयी है। यदि अभ्यर्थी अन्य सभी वांछित योग्यताओं एवं शर्तों को पूर्ण करता/करती हो और अच्छा स्वास्थ्य रखता/रखती हो तथा प्रशिक्षण देने में सक्षम हो, तो वह प्रशिक्षक की भूमिका निर्वहन हेतु आवेदन कर सकता है।

(3) कार्यावधि :–

बेयरफुट तकनीशियन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षक के रूप में भूमिका निर्वहन हेतु चयनित प्रशिक्षकों (Trainers) का कार्यकाल तब तक होगा, जब तक कि छत्तीसगढ़ राज्य में बेयरफुट तकनीशियनों की निर्धारित संख्या का प्रशिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। अवगत हों कि यह कोई स्थाई/अस्थाई/संविदा का पद नहीं है, मात्र BFT प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षक के रूप में भूमिका के निर्वहन के कार्य हेतु रूचि/मानदेय के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु आवेदन मंगाया जा रहा है, जिसमें से योग्यता एवं अनुभव के आधार पर बी.एफ.टी. प्रशिक्षक की भूमिका हेतु चयन किया जायेगा।

(4) मानदेय एवं सुविधाएं :–

1. बेयरफुट तकनीशियन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चयनित प्रशिक्षक भूमिका निर्वहनकर्ताओं (Trainers) को आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार प्रदान किये गये प्रशिक्षण दिवसों/सत्रों के लिए प्रशिक्षण समन्वयक के सत्यापन के आधार पर भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय/ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर, छ.ग. द्वारा निर्धारित मानदेय देय होगा।
2. निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चयनित प्रशिक्षकों के लिए ठहरने तथा भोजन की व्यवस्था प्रशिक्षण संस्थान में ही की जावेगी। प्रशिक्षण स्थल तक

आने–जाने का भुगतान प्रशिक्षण संस्थान द्वारा/शासकीय नियमानुसार किया जायेगा। अतः चयन की सूचना प्राप्त होते ही अभ्यर्थी निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार आवेदन में अपनी यात्रा का कार्यक्रम इस कार्यालय को उपलब्ध करावेंगे।

(5) पदच्युति/त्यागपत्र :–

बेयरफुट तकनीशियन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षक (Trainer) के तौर पर भूमिका निर्वहन हेतु चयनित BFT प्रशिक्षक एक माह पूर्व आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा को सूचना देकर प्रशिक्षक (Trainer) के तौर पर भूमिका निर्वहन से त्यागपत्र दे सकता है जिसके लिए उन्हें स्पष्ट कारण से भी अवगत कराना होगा तथा इस संबंध में अनुमोदन/अस्वीकृति का सर्वाधिकार आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा के पास होगा।

(6) कर्तव्य :– प्रशिक्षक (Trainer) के कर्तव्य निम्नानुसार होंगे :–

I. निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार BFT प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करना।
II. प्रत्येक प्रशिक्षण दिवस की समाप्ति से पूर्व BFT प्रशिक्षुओं की दैनिक परीक्षण तथा मौखिक/लिखित मूल्यांकन करना।
III. निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार BFT प्रशिक्षुओं को निर्धारित क्षेत्र के भ्रमण हेतु क्षेत्र में साथ जाकर चयनित कार्यों का प्रशिक्षण प्रदान करना।
IV. भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं महात्मा गांधी नरेगा राज्य कार्यालय, छ.ग. द्वारा बेयरफुट तकनीशियन के संबंध दिये गए निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना।
V. एक से अधिक प्रशिक्षण स्थल पर चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करना।

(7) चयन प्रक्रिया :–

बेयरफुट तकनीशियन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षक (Trainer) की भूमिका निर्वहन हेतु चयन प्रक्रिया 02 चरणों में होगी :–

(7.1) प्रथम चरण :– आवेदकों के आवेदनों को अर्हता/अनुभव के आधार पर पात्रता/अपात्रता का निर्धारण आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, छ.ग. द्वारा 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण (Training of Trainers) हेतु चयन के लिए किया जावेगा। इस संबंध में आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

(7.2) द्वितीय चरण :– आवेदकों की संख्या 40 या उससे अधिक होने की स्थिति में 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (BFT Training of Trainers) ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा अथवा अन्य प्रशिक्षण स्थलों में शीघ्र आयोजित किया जायेगा। आवेदकों की संख्या 40 से कम होने की स्थिति में प्रशिक्षकों को 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण (BFT ToT) प्राप्त करने हेतु NIRD & PR हैदराबाद या अन्य राज्यों में स्थित संस्थान में आयोजित BFT ToT प्रशिक्षण स्थल पर जाना होगा, जिसकी जानकारी आवेदकों के अर्हता निर्धारण में उपयुक्त पाए गये आवेदनकर्ता अभ्यर्थियों को पृथक् से दी जावेगी। प्रशिक्षण उपरांत भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन में उपयुक्त पाये गये सफल अभ्यर्थियों को ही बेयरफुट तकनीशियन के 100 दिवसीय अवासीय प्रशिक्षण में प्रशिक्षण देने हेतु चयनित किया जावेगा।

(8) अन्य शर्तें :–

1. सिविल अभियंत्रण के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को Weightage (महत्व) दिया जावेगा।
2. बेयरफुट तकनीशियन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चयनित प्रशिक्षक (Trainer) को ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर, एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों अथवा प्रदेश के अन्य निर्धारित स्थानों पर आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम (Training Schedule) अनुसार समय–समय पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उपस्थित होना होगा।
3. किसी भी अभ्यर्थी द्वारा स्वतः आवेदन किया जा सकता है, किन्तु शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगमों में कार्यरत अभियंताओं को अपने कार्यालय प्रमुख के माध्यम से आवेदन प्रेषित करना होगा। अभ्यर्थी आवेदन की अग्रिम प्रति भेज सकतें है, किन्तु उचित माध्यम से अंतिम तिथि तक उनका आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
4. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ही उपलब्ध कराया जावे।
5. वांछित अर्हता धारण करने वाले तथा समस्त शर्तों को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करें।

(9) आवेदन करने का तरीका :–

इच्छुक आवेदक पूर्ण जानकारी/अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ विज्ञापित भूमिका के निर्वहन हेतु संलग्न आवेदन प्रारूप मे आवेदन पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा आवेदक द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से निम्नलिखित पते पर दिनांक 25 मार्च 2017 तक उपलब्ध कराया जा सकता है:–

आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा, कक्ष क्र. II/2/15, द्वितीय तल, ब्लॉक–II, विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

sd–

(पी.सी.मिश्रा)
आयुक्त
महात्मा गांधी रा.ग्रा.रो.गा.परिषद्
नया रायपुर, छत्तीसगढ़

बेयरफुट तकनीशियन अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षक (Trainers) की भूमिका निर्वहन हेतु आवेदन पत्र प्रारूप

प्रति,

आयुक्त,
महात्मा गांधी नरेगा,
विभागाध्यक्ष कार्यालय ,
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–2, द्वितीय तल,
नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

स्वप्रमाणित
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

01. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :– .....
(अंग्रेजी में) :– .....

02. पिता / पति का नाम (हिन्दी में) :– .....
(अंग्रेजी में) :– .....

03. माता का नाम (हिन्दी में) :– .....
(अंग्रेजी में) :– .....

04. लिंग (महिला / पुरूष / अन्य) :– .....

05. जन्म तिथि (अंकों में) :– .....
(शब्दों में) :– .....

06. जन्म स्थान :– .....

07. दिनांक 01.01.2017 की स्थिति में आयु :– वर्ष..... माह..... दिन.....

08. अभ्यर्थी के स्वास्थ्य की स्थिति (अच्छा / खराब):– .....

09. जाति / वर्ग (सा. / अ.पि.व. / अ.जा. / अ.ज.जा.) :– .....

10. वर्तमान पत्र व्यवहार का पूरा पता :– .....
:– .....
:– .....

11. स्थाई निवास का पूरा पता :– .....
:– .....
:– .....

12. दूरभाष / मोबाइल नम्बर्स :–1.....2.....

13. ई–मेल आई–डी :– .....

14. क्या आप दिव्यांग हैं :– .....(हां / नहीं)

15. क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं :– .....(हां / नहीं)
(प्रमाण सलंग्न करें)

16. शैक्षणिक योग्यता (प्रत्येक का प्रमाण पत्र संलग्न करें) :–

क0	परीक्षा का नाम	बोर्ड/संस्था का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							

15. यदि आवेदक शासकीय/अशासकीय सेवाओं में/व्यक्तिगत रूप से कार्यरत/सेवानिवृत्त है तो वर्तमान/अंतिम सेवा के समय

पदनाम.. :–.....

विभाग का नाम :–.....

कार्यालय का नाम :–.....

16. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के उपरांत आवेदक के अनुभव का विवरण

क0	विभाग का नाम	कार्यालय का नाम	कार्यावधि		सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अनुभव के वर्ष
			कब से	कब तक	
कुल अनुभव (वर्ष एवं माह में)					

17. संलग्न दस्तावेजों की सूची :–

1..... 2. .....

3..... 4. .....

5..... 6. .....

7..... 8. .....

घोषणा–पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्त विवरण पूर्णतः सत्य एवं पूर्ण है। किसी भी स्थिति में विवरण असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीद्वारी निरस्त हो जाएगी तथा मेरे सभी दावे समाप्त हो जायेंगे।

स्थान :..... आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनाँक :..... आवेदक नामः–.....